अवैध खनन कर रहे 9 माफिया गिरफ्तार, 10 करोड़ रुपए के 16 वाहन भी जब्त

नागौर पुलिस ने खींवसर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। नागौर पुलिस ने खींवसर क्षेत्र में अवैध खनन कर रहे माफियाओं के साम्राज्य को तहस-नहस किया है। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में खींवसर पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रेमनगर की सरहद से करीब 10 करोड़ रुपये कीमत की मशीनें और वाहन जब्त कर खनन माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है।

एसपी कच्छावा ने बताया कि पुलिस टीम

- **पकड़े गए आरोपी नागौर, जोधपुर ग्रामीण, डीग, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और ब्यावर जैसे अलग-अलग जिलों के निवासी हैं।**

ने जब प्रेमनगर और बैरावास की सीमा पर दबिश दी तो वहां अवैध खनन का बड़ा खेल चल रहा था। पुलिस ने मौके से पहाड़ों का सीना चीरने वाली 4 विशालकाय चैन माउंटेड एलएनटी पोकलेन मशीनें, 3 जेसीबी, 4 भारी भरकम डम्पर और 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इसके अलावा माफियाओं द्वारा निगरानी में इस्तेमाल की जाने वाली 1 स्कॉर्पियो और 1 मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। कुल 16 वाहनों को भारी जाप्ते के साथ थाने लाकर खड़ा किया गया है।

पुलिस ने अवैध खनन में लिप्त 9 आरोपियों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी न केवल नागौर, बल्कि जोधपुर ग्रामीण, डीग, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और ब्यावर जैसे अलग-अलग जिलों के निवासी हैं, गिरफ्तार आरोपियों में राधाकिशन, मदनलाल, जलीस, विष्णु, राजमल, नेमाराम, देवराजसिंह, शंकरसिंह और सुरेश कुमार चौधरी शामिल हैं।

इस पूरी कार्यवाही को सफल बनाने में खींवसर थानाधिकारी कन्हैयालाल और डीएसटी प्रभारी मुकेश कुमार की टीम का विशेष योगदान रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी और वृत्ताधिकारी धरम पूनिया के सुपरविजन में टीम ने इतनी गोपनीयता से दबिश दी कि माफियाओं को भागने का मौका तक नहीं मिला।

एसपी कच्छावा ने साफ कर दिया है कि नागौर की धरती पर अवैध खनन और प्राकृतिक संसाधनों की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगो पर भी गाज गिर सकती है।

नागौर पुलिस ने खींवसर क्षेत्र में अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 9 माफियाओं और उनके 16 वाहनों को जब्त किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं गिरिराज महाराज के परम भक्त : हेमामालिनी

'विकास के कार्यों में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री शर्मा और राजस्थान सरकार हमेशा तैयार'

जयपुर (कासं)। मथुरा से सांसद एवं अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गिरिराजजी के परमभक्त हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार की तरफ से परिक्रमा मार्ग के उन्नयन के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग का कुछ हिस्सा राजस्थान में आता है। परिक्रमा मार्ग में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जन सुविधाओं का विकास भी किया जा रहा है। मालिनी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं राजस्थान सरकार विकास के कार्यों में सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके सहयोग से परिक्रमा मार्ग में आने वाले कृष्णभक्तों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी। सांसद ने कहा कि परिक्रमा मार्ग में आने वाले गांवों तथा विभिन्न स्थानों का भी विकास किया जाएगा।

मथुरा से सांसद एवं प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री की महाशिवरात्रि पर शुभकामनाएं

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाशिवरात्रि (15 फरवरी) के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आस्था का महत्वपूर्ण पर्व है। शर्मा ने कहा कि यह पर्व हमें आत्मशुद्धि, सद्भाव और आत्मसंयम की प्रेरणा देता है। भगवान शिव की आराधना से जीवन में धैर्य और कर्तव्यबोध का विकास होता है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से आव्हान किया कि वे सदैव सत्य के रास्ते पर चलते हुए लोककल्याण और प्राणीसेवा के प्रति समर्पित रहें।

चलती कार में आग लगी

जयपुर। जगतपुरा इलाके में चलती कार में अचानक से आग लग गई। बोनट से धुंआ निकलता देख कार चालक ने बड़ी चतुराई से कार को सड़क किनारे लगाया। इतनी ही देर में आग ने विकराल रुप धारण कर लिया और देखते ही देखते महज 10 मिनट में कार कबाड़ में तब्दील हो गई। घटना के बाद जगतपुरा 7 नंबर चौराहे पर हड़कंप मच गया और यातायात जाम हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक कार कबाड़ में तब्दील हो गई। फायर स्टेशन (मालवीय नगर) के अधिकारी कीर्ति ने बताया कि महेंद्र दौसा बालाजी निवासी ने चलती कार में आग लगने की सूचना दी थी। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की एक गाड़ी ने महज 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया। लेकिन जब तक कार कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। महेंद्र से पूछताछ करने पर सामने आया है कि उसने प्रताप नगर के महल रोड पर स्थित एक सर्विस सेंटर पर कार ठीक कराई थी। सर्विस करवाने के बाद वह जगतपुरा के 7 नंबर चौराहे पर पहुंचा था। इसी दौरान चलती कार के बोनट से उसे धुआं निकलता दिखाई दिया। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

'मजबूत न्याय प्रणाली के लिए मजबूत युवा वकीलों की जरूरत'

हाईकोर्ट ने प्रदेश के 28 साल तक के युवा वकीलों को बड़ी राहत दी है, जिनकी वकालत को अभी 5 साल की अवधि पूरी नहीं हुई है

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 28 साल तक के उन युवा वकीलों को बड़ी राहत दी है, जिनकी वकालत को अभी पांच साल की अवधि पूरी नहीं हुई है।

अदालत ने प्रदेश की बार एसोसिएशन्स को कहा है कि वे ऐसे युवा वकीलों के लिए राजस्थान एडवोकेट्स एड टू परचेज लॉ बुक्स स्कीम तैयार करे। इसके तहत सभी जिलों के लिए एक खरीद समिति का गठन किया जाएगा, जो जूनियर वकीलों को कानून की पुस्तकों की खरीद के लिए एकमुश्त पांच हजार रुपए की सहायता देगी। राशि लेने के एक माह के भीतर वकील को पुस्तकों का बिल पेश करना होगा। यदि वह पुस्तकें नहीं खरीद पाता है तो उसे दी गई राशि वापस ली जाएगी।

वहीं यदि वह इस राशि का उपयोग दूसरे काम में करता है तो यह राशि 12 फीसदी ब्याज सहित वसूली जाएगी। इसके अलावा संबंधित प्राधिकारी को इस योजना के तहत सहायता लेने वाले वकील की ओर से बनाई लाइब्रेरी का निरीक्षण करने का भी अधिकार होगा। जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश मीना शर्मा व अन्य की मोटर दुर्घटना अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को कहा है कि वह जूनियर एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के नाम से बैंक में खाता खोले और पात्र युवा वकीलों की सूची तैयार कर उन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस राशि का वितरण करे। अदालत ने आदेश की कॉपी मुख्य सचिव, विधि विभाग, बीसीआई, बीसीआर और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को भेजते हुए मामले की सुनवाई 6 मार्च को तय कर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं अदालत ने देरी से अपील पेश करने वाले अपीलार्थियों को 11 हजार रुपए इस फंड में जमा कराने कहा है।

अदालत ने कहा कि वकील बनना एक गर्व का क्षण है, लेकिन पहली पीढ़ी के उभरते वकीलों को अपनी प्रैक्टिस स्थापित करने के लिए जरूरी संसाधन और जरूरी किताबें खरीदने का फंड नहीं होता है। उनकी यात्रा बडे सपनों से शुरू होती है, लेकिन अदालती जीवन की हकीकत आसान नहीं है। वे केस तैयार करते हैं, कानून पढते हैं और सीनियर वकीलों की सहायता करने सहित अदालतों में लंबी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन उनके प्रयासों को अक्सर अनदेखा किया जाता है। यदि उन्हें शुरुआत में उचित समर्थन मिले तो वे ईमानदार व कुशल पेशेवर बन सकते हैं। युवा वकीलों की मदद करना कोई उपकार नहीं, बल्कि बेहतर न्याय प्रणाली की जरूरत है।

- **अदालत ने प्रदेश की बार एसोसिएशन्स को कहा है कि वे ऐसे युवा वकीलों के लिए राजस्थान एडवोकेट्स एड टू परचेज लॉ बुक्स स्कीम तैयार करे। इसके तहत सभी जिलों के लिए एक खरीद समिति का गठन किया जाएगा, जो जूनियर वकीलों को कानून की पुस्तकों की खरीद के लिए एकमुश्त 5000 रुपए की सहायता देगी**
- **यह राशि लेने के 1 माह के भीतर वकील को पुस्तकों का बिल पेश करना होगा। यदि वह पुस्तकें नहीं खरीद पाता है तो उसे दी गई राशि वापस ली जाएगी। अगर यह पैसा दूसरे काम में लिया गया तो 12 फीसदी ब्याज समेत राशि वसूली जाएगी।**

उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में चयनित अभ्यर्थी को अपात्र घोषित करने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती-2025 में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में चयनित अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित करने पर प्रमुख राजस्व सचिव और राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार सहित कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश आदित्य सारस्वत की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के अंतिम निर्णयाधीन रखा है।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने उत्कृष्ट खिलाडी कोटे के तहत आवेदन कर लिखित परीक्षा पास की थी। इस पर याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। याचिका में कहा गया कि दस्तावेज सत्यापन के बाद उसे यह कहते हुए भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया कि उसकी ओर से जिस प्रतियोगिता में भाग लेकर उसका खेल प्रमाण पत्र पेश किया है, वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता नहीं है। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता ने फेडरेशन कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राष्ट्रीय लेवल पर भाग लिया था। पूर्व में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में समान खेल प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता मानते हुए अभ्यर्थियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के तहत नियुक्तियां दी गई हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता का प्रकरण भी समान प्रकृति का हे। इसलिए उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता।

युवतियों से मारपीट पर हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ डेढ़ माह बाद मामला दर्ज

जयपुर। विद्यायकपुरी थाना इलाके में गत दिसम्बर 2025 को दो युवतियों के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस वीडियों वायरल होने के बाद प्रसज्ञान लेते हुए हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरु कर दी है।

एएसआई बाबूलाल ने बताया कि मालवीय नगर थाने के हिस्ट्रीशीटर मनीष सैनी ने दो युवतियों से मारपीट की थी। जिसका वीडियो वायरल होने के बाद कॉन्स्टेबल रामपाल ने मामला दर्ज कराया। हिस्ट्रीशीटर मनीष सैनी के खिलाफ पहले से ही 37 से ज्यादा मामले दर्ज है। वीडियो में हिस्ट्रीशीटर मनीष सैनी दो युवतियों को कार के खींचकर बाहर निकालता है। वह लात घूंसे से दोनों युवतियों से मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में कुछ लोग बीच बचाव करते हुए दिखाई दे रहे है।

थानाधिकारी नरेंद्र भडाना ने बताया की 26 दिसंबर 2025 की रात करीब 1 बजे विधायकपुरी थाना पुलिस की चेतक को सूचना मिली कि एक युवक दो युवतियों से मारपीट कर उनका गला दबा रहा है।

- **आरोपी हिस्ट्रीशीटर मनीष सैनी के खिलाफ 37 से ज्यादा मामले दर्ज हैं**

सूचना पर मौके थाने की चेतक जगन पथ, चौमूं हाउस स्थित होटल शिव महिमा के पास पहुंची। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। वीडियों वायरल होने के बाद पुलिस कंट्रोल रुम ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा। जिसके बाद पुलिस ने 12 फरवरी 2026 को मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरु की। पुलिस जांच के दौरान दो और वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में दोनों लड़कियां होटल के बाहर खड़े होकर उसे गाली-गलौज कर रही है। दूसरे वीडियो में वह एक लड़की के साथ होटल के अंदर जा रहा है। होटल मैनेजमेंट से पूछताछ में पता चला कि वे होटल में कमरा लेने आए थे, लेकिन कमरे फुल होने के कारण उन्होंने मना कर दिया था। पुलिस ने आरोपी हिस्ट्रीशीटर मनीष के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच - पड़ताल शुरु कर दी है।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे अभिभाष्य हेमेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा प्लॉट संख्या बी - 95-ए, दयानंद मार्ग, तिलक नगर, जयपुर स्थित भवन की छत पर पंजीकृत डेवलपर एग्रीमेंट दिनांकित 04.09.2025 के आधार पर अतिरिक्तफ्लैट निर्माण प्रस्तावित है आवश्यक स्वीकृतियाँ एवं अनुमतियाँ प्राप्त हैं। यदि किसी व्यक्तिको कोई आपत्ति हो तो वे 7 दिवस के भीतर संपर्क करें अन्यथा कोई आपत्ति ना मानकर निर्माण कार्य विधि अनुसार प्रारंभ किया जाएगा। अतः सूचित रहें।

जयपुर
दिनांक 13 फरवरी 2026
सौरभ यादव अधिवक्ता (राज.हाईकोर्ट)
मोबाईल 77698 77047

आम सूचना समिति की योजना सेवन हॉर्स सिटी जो ग्राम गिरधारीपुरा महला तह. मौजमाबाद जिला जयपुर में खसरा नं. 4 व खसरा नं. 136 में आवासीय योजना जरिये संयोजक सीताराम मीणा पुत्र श्री बनाराम मीणा ने सूचित की थी। लेकिन खसरा नं. 4 में पूर्व दिशा में लगभग 5-1/2 बीघा भूमि पर बारिश के पानी का भराव लगभग 365 दिन ही रहता है। इसलिए समिति के प्रबन्ध कार्यकारिणी के सदस्यों ने मौका निरीक्षण करके मौका देखा और अपना मत रखा कि यहाँ वास्तव में पानी भरा रहता है। इसलिए इस भूमि पर आवासीय योजना सूचित गलत किया गया है। अतः सर्व समिति राय के अनुसार इस लगभग 5-1/2 बीघा भूमि जो खसरा नं. 4 का पूर्व हिस्सा है को निरस्त करके नक्शा रिवाइज करके सभी सदस्यों को मौका स्थिति बराबर दे दिया जावे। अतः सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि इस योजना का जो हिस्सा निरस्त किया गया है किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिन में समिति कार्यालय में आकर संपर्क करें। कृपया सूचित रहे।
अध्यक्ष-कालाना ईगरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
जयपुर रजि. नं. 25/एल.सी., मो.नं. 8078600067

आम सूचना समिति की योजना मारूती नगर कोदर (बगरू) में स्थित है। तहसील मौजमावाद जिला जयपुर के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि योजना की भूमि का खसरा नं. 798 रकबा 5.6400 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल 5.6400 हैक्टेयर भूमि में जो जरियें संयोजक सृजित की गई थी उसके समिति द्वारा निरस्त किया जा रहा है। खातेदार ने समिति रजिस्ट्री करवाने से इनकार कर देने से समिति इस योजना को निरस्त कर रही है। किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति हो तो समिति कार्यालय में आकर सम्पर्क करे 7 दिन के अन्दर-अन्दर।
अध्यक्ष-कालाना ईगरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
जयपुर रजि. नं. 25/एल.सी., मो.नं. 8078600067

सार्वजनिक सूचना

मैं, कन्हैया लाल जाट, निवासी 433, गणेश नगर विस्तार, झोटवाडा, जयपुर सूचित करता हूँ कि मेरा पुत्र अंशुल जाखड स्वेच्छा से अलग रह रहा है। उसके किसी भी कार्य या लेन-देन के लिए मैं या मेरा परिवार उत्तरदायी नहीं होगा। कन्हैया लाल जाट, जयपुर
मो. नं. 8005745543

विद्यार्थियों से मिले राज्यपाल

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से शनिवार को लोकभवन में "भारत दर्शन यात्रा" के तहत जम्मू कश्मीर के छात्र-छात्राओं ने मुलाक़ात की। राज्यपाल बागडे ने इस दौरान विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं। कश्मीर सनातन संस्कृति का गढ़ रहा है।

सेवानिवृत्ति से कुछ माह पहले किया तबादला आदेश रद्द

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अगस्त, 2026 में सेवानिवृत्त हो रही स्कूल प्रिंसिपल का तबादला आदेश रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने प्रिंसिपल को सेवानिवृत्ति तक वर्तमान स्कूल में पदस्थापित रखने को कहा है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश विमला तंवर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अजमेर के दिलवाडा की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। विभाग ने गत 22 सितंबर को उसका तबादला नागौर जिले की एक स्कूल में कर दिया। जबकि याचिकाकर्ता आने वाले अगस्त माह में रिटायर हो रही है। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार विभाग ने जनवरी, 2023 से तबादलों पर रोक लगा रखी है और सिर्फ उच्च स्तर पर अनुमति मिलने की सूरत में ही तबादला करने का प्रावधान है। इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता का बिना उच्च स्तर पर अनुमति मिले तबादला कर दिया गया। इसके साथ ही रिटायर होने के इतने समय पर तबादला करना अनुचित है। इसलिए तबादला आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को वर्तमान स्कूल में कार्यरत रखने को कहा है।

भक्तों ने खेली फूलों की होली

जयपुर। श्री प्रेमभाया मंडल समिति द्वारा आयोजित विभिन्न देवालयों के फागोत्सव के क्रम में शनिवार को युगल कुटीर, जयलाल मुंशी का रास्ता, श्री प्रेमभाया सरकार के फागोत्सव मनाया गया जिसमें श्री प्रेमभाया सरकार के नयनाभिराम श्रृंगार कर गुलाल अर्पित की गई और भक्तों ने आराध्य देव के साथ फूलों की होली खेली।

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 8/2026
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि डॉ. मेनका यादव पत्नि श्री जितेन्द्र यादव निवासी सिंघाना रोड, सन साइन विद्यालय के पास, नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा-123001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत सनराईज इन्टेग्रटेड एजूकेशनल ट्रस्ट, अलवर के सम्बन्ध में प्रन्यास द्वारा ग्राम हनुमानपुरा तहसील पाटन जिला पाटन गुजरात में नया रेवेन्यू सर्वे नं. 293 कुल क्षेत्रफल 85643 वर्गमीटर सम्पत्ति क्रय कर न्यास सम्पत्ति के रूप में दर्ज अभिलेख किये जाने हेतु जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 23.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय...उपखण्ड अधिकारी...स्थान ...जोबनेर...
...मुस्कान डबरिया वगै.... विरूद्ध
...रामनारायण वगैत्र...
वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद संख्या 68/2025
प्रा.संख्या-53/2025
नाम रामनारायण पुत्र हुक्माराम जाति रैगर निवासी भैसावा तहसील जोबनेर, हेमलता महावर पत्नि कृष्णकुमार कोली जाति कोली निवासी प्लाट नंबर-78 हनुमान मंदिर वाली गली, मंदिर रोड विद्याधर नगर जयपुर तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर विरूद्ध वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 16.02.2026 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 13 माह 02 सन् 26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1329
चूंकि प्रार्थी श्री Rajesh Kumar, Nangla Madhopur Alwar ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास विद्यास्थली शिक्षा समिति जयपुर A-348 मालवीय नगर जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 15.04.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1231
चूंकि प्रार्थी श्री VISHAL VIJAY, 4H44 INDIRA GANDHI NAGAR, JAGATPURA JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास फोर्थ वाल ड्रामेटिक सोसाइटी Jaipur के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 23.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 07.04.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

खोया पाया
मेरा पासपोर्ट-पासपोर्ट नम्बर-जी-9003146 कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें बद्री नारायण चौधरी ग्राम-कोथून, तहसील-चाकसू, जिला-जयपुर मोबाइल नम्बर-9414204893

नाम परिवर्तन
मैं आर्मी नंबर 15687475-एफ हवलदार प्रजापति प्रकाश भाई, निवासी फोरना बनासकांठा, गुजरात। मेरे सैनिक दस्तावेज में नाम प्रजापति पकाश ऐ.बी. है जो कि गलत है। मेरा नाम प्रजापति प्रकाश भाई है जो कि सही और सत्य है।

मैं लाल चंद सामतानी यह बयान करता हूँ कि लाल चंद और लाल चंद सामतानी दोनों मेरे नाम है। लाल चंद सामतानी पुत्र श्री बासुदेव सामतानी निवासी 14-बी, जोशी कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर। भविष्य में मुझे दोनों नामों से जाना जाएगा।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

राजस्थान की अफोर्डेबल हाउसिंग एवं स्किलिंग योजनाओं को मिली सराहना

नेशनल अर्बन रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में जयपुर की शहरी मोबिलिटी और कॉरिडोर आधारित विकास रणनीति प्रस्तुत

जयपुर। नई दिल्ली में नारेडको (नेशनल रियल एस्टेट डवलपमेंट काउंसिल) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अर्बन रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में राजस्थान सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग, गुणवत्ता सुधार एवं स्किल विकास योजनाओं को व्यापक सराहना मिली। कॉन्क्लेव में राजस्थान आवासन मंडल की आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने आवास निर्माण में गुणवत्ता, समयबद्ध डिलीवरी और श्रमिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता बताते हुए बोर्ड की प्रमुख पहलों को रेखांकित किया, जबकि सतत विकास सत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव निशांत जैन ने ट्रांजिट आधारित शहरी विकास को आने वाले समय का निर्णायक मॉडल बताया।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की कमिश्नर डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा कि आज इस कॉन्क्लेव में हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। राजस्थान आवासन मंडल, जो एक ऑटोनोमस संस्था है, ने विगत वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं और अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य के अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में मंडल ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। हम न केवल विभिन्न आय वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास विकसित कर रहे हैं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से लोगों तक पहुँचाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि हमने नए रिक्रूट्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं और मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी स्किलिंग को बढ़ावा देने हेतु निर्देश दिए हैं, स्किलिंग हर स्तर पर आवश्यक है। क्वालिटी चेक्स हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हमें इस पर गर्व है। हमने अपने पेमेंट सिस्टम को भी क्वालिटी से लिंक किया है, ताकि उच्च मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। एक ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते हम चाहते हैं कि लोगों का हम पर विश्वास सदैव बना रहे। हमारा उद्देश्य सिर्फ मकान बनाना नहीं, बल्कि लोगों के सपनों का घर बनाना है।

सतत विकास और ट्रांजिट ओरियंटिड डवलपमेंट पर आयोजित परिचर्चा में भाग लेते जयपुर डवलपमेंट अथॉरिटी के सचिव निशांत जैन ने शहरी विकास में ट्रांजिट और कॉरिडोर आधारित एप्रोच पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई राजस्थान टीओडी नीति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की और बताया कि राज्य सरकार जयपुर मेट्रो फेज़-2 के साथ-साथ ट्रांजिट उन्मुख विकास पर बल दे रही है। उन्